



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: आदेश

Reference No.: IRDA/SUR/ORDER/MISC/100/04/2020

Date: 24/04/2020

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक नियम, 2015 (सर्वेक्षक विनियम) के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों की समिति का पुनर्गठन

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/एमआईएससी/100/04/2020 दिनांक: 24-04-2020
Ref No.: IRDAI/SUR/ORD/MISC/100/04/2020 Date: 24-04-2020

आदेश
ORDER

विषय: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक नियम, 2015 (सर्वेक्षक विनियम) के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों की समिति का पुनर्गठन।

Sub: Re-Constitution of Committee of Surveyors and Loss Assessors in terms of Regulation 10 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 (Surveyor Regulations)

सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों की गठित समिति संदर्भ आदेश सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/ एमआईएससी/226/12/2015 दिनांकित 22/12/2015 एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों से युक्त तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित होती है:

The Committee of Surveyors and Loss Assessors constituted vide Order No. IRDA/SUR/ORD/MISC/226/12/2015 dated 22/12/2015 is hereby stands reconstituted with immediate effect consisting of the following members:

1. श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई (प्राधिकरण के अधिकारी)

Shri.Suresh Mathur, Executive Director, IRDAI (Officer of the Authority)

2. श्रीमती कुहु दास, उपमहाप्रबंधक, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि)

Smt. Kuhu Das, DGM, New India Assurance Company Limited (Representative of Public Sector Insurers).

3. श्री संजय दत्ता, उपाध्यक्ष, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि)

Shri.Sanjay Dutta, Vice-President, ICICI Lombard General Insurance Company Limited (Representative of Private Sector Insurers).

4. श्री मिलिन्द भातवाडेकर, भातवाडेकर एण्ड कंपनी (सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारकों के प्रतिनिधि)

Shri.Milind Bhatawadekar, Bhatawadekar & Co (Surveyors and Loss Assessors' Representative).

5. श्री श्रीरंगा आर. हनुमासागर (सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के प्रतिनिधि)

Shri. Shriranga R. Hanumasagar(Surveyor and Loss Assessors' Representative)

6. श्री एस. रंगराजन, प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन, सुंदरम क्लेटान ग्रुप, चेन्नई (पालिसीधारकों के प्रतिनिधि)

Shri S. Rangarajan, Head, Internal Audit and Risk Management, Sundaram Clayton Group, Chennai (Policyholders' Representative).

7. अध्यक्ष, आईआईआईएसएलए

President, IISLA.

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि का होगा और प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। समिति सर्वेक्षक विनियमों के विनियम 11 में निर्धारित कार्यों को पूरा करेगी। समिति अपने कार्यों का संचालन करने के लिए आवश्यकतानुसार बारंबार बैठक करेगी और प्राधिकरण के अधिकारी, सर्वेक्षक विनियमों के विनियम 11(2) के अनुसार बैठक के स्थान, समय और आवृत्ति का निर्णय करेंगे। सदस्य (आईआरडीए के प्रतिनिधि के अलावा) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जैसा निर्धारित किया जाए, यात्रा, मानदेय इत्यादि के लिए भत्तों के हकदार हैं।

The term of the Committee shall be for a period of three years from the date of its constitution and will be presided over by the Officer of the Authority. The Committee shall discharge the functions as laid down in the Regulation 11 of the Surveyor Regulations. The Committee may meet as frequently as necessary to conduct its affairs and the Officer of the Authority shall decide the venue, time and frequency of such meetings as per Regulation 11(2) of Surveyor Regulations. The Members (other than the representative from IRDA) are entitled to such allowances for travel, Honorarium, etc. as may be determined by Authority from time to time.

(टी.एल.अलमेलु / T.L. Alamelu)

सदस्य (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)